राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ० 02/07/2020/एस.I /02 दिनांक 28.03.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है तथा यह कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे सहित अनिवार्य सेवाएं और आपूर्ति बनाए रखना सुनिश्चित करते हुए विभिन्न उपाय लागू तथा क्रियान्वित करने में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है।

2. और जबकि, समस्त अनिवार्य सामग्री/दवाओं/चिकित्सा उपकरणों/पशुओं और जानवरों के लिए चारे/मुर्गी दाने/पेट्रोलियम उत्पादों/एलपीजी/खाद्य उत्पादों इत्यादि की आवाजाही की सुविधा के क्रम में, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पास जारी किए गए हैं।

3. अतः, अब, समस्त अनिवार्य वस्तुओं की सीमा–पार आवाजाही एवं परिवहन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उक्त आदेश के तहत और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों के अनुपालन के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा, पूर्व आदेश सं. 121, दिनांक 25.03.2020 तथा उसके बाद आदेश सं. 122, दिनांक 26.03.2020 के क्रम में, सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी जिलाधिकारियों एवं जिलों के पुलिस उपायुक्तों को निदेश दिए जाते हैं कि अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा जारी पासों को मान्यता दी जाए तथा ऐसे पास धारकों को (तथा इनके वाहनों को) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं में आवाजाही की अनुमति दी जाए।

4. यह आदेश दिल्ली के सभी हिस्सों में 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. समस्त जिला मैजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि :—

1. समस्त सदस्य राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली।
6. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
7. समस्त क्षेत्रीय उपायुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
9. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Scanned with CamScanner